म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ज.स./बी–8/3/13/372 भोपाल दिनांक 29/07/2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय समस्त......................(म0प्र0)

विषय :– किसानों एवं हितग्राहियों को टैक्स्ट मेसेज(एस0एम0एस0) भेजने के संबंध में।

संदर्भ:– अवर सचिव म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक–1569 दिनांक 16.05.2019 के संलग्न आयुक्त संचालनालय संस्थागत वित्त म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक–1556 दिनांक 09.05.19

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि किसानों एवं हितग्राहियों को टैक्स्ट मेसेज(एस0एम0एस0) का संलग्न प्रारूप अनुसार किसान भाईयों के लिये आवश्यक सूचना को मण्डी की दीवार पर लेखन संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार

29/07/19

संयुक्त संचालक(जनसंपर्क)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणनबोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1569/2252/2019/14–2 भोपाल, दिनांक 16/5/2019

प्रति,

1. संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी भोपाल।

2. प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य ~~बीज एवं फार्म विकास निगम/राज्य सहकारी विपणन संघ जहाँगीराबाद /बीज प्रमाणीकरण संस्था~~/कृषि विपणन बोर्ड/ ~~कृषि उद्योग विकास निगम~~, भोपाल।

3. कुल सचिव,
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर/राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म0प्र0।

4. कलेक्टर, जिला ....म0प्र0।

विषयः— राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 36वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार किसानों एवं हितग्राहियों को टेक्स्ट मेसेज SMS भेजने के संबंध में

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त संस्थागत वित्त का पत्र क्र.-प्रावित/एस.एल.बी.सी.-361/संवित्त/2019/1556 दि. 9-5-19 (दि. 10-5-19 को ई-मेल से प्रेषित)

दिनांक ....—........की छायाप्रति संलग्न है का कृपया अवलोकन करें।

2/— निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया पत्र में दर्शायेनुसार प्रकरण पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कि गई कार्यवाही/अभिमत सीधे टीम से आज ही विभाग को अवगत/उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

15/5/19

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Agri/93 दि. 28/5/19
शाखा ....
प्रबंध संचालक

संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्र
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387
e-mail: difbho@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 09–05–2019

क्र.प्राविवि / एसएलसीसी–36 / सं.वि.स. / 2019 / 1556

प्रति,

1. **प्रमुख सचिव,** म0प्र0शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. **प्रमुख सचिव,** म0प्र0शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. **आयुक्त,** मंडी बोर्ड, किसान भवन, भोपाल।
4. **संचालक,** संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल, भोपाल।
5. **प्रबंध संचालक,** म0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल।
6. **प्रबंध संचालक,** म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
7. **राज्य निदेशक,** नेशनल इंफॉर्मेटिक सेन्टर, भोपाल।

विषयः– राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 36वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार किसानों एवं हितग्राहियों को टैक्स्ट मेसेज़ (SMS) भेजने के संबंध में।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 3 मई, 2019 को <u>मुख्य सचिव, म0प्र0शासन की अध्यक्षता</u> में सम्पन्न बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी कि प्रदेश में कतिपय संस्थाओं द्वारा चिटफण्ड / पोंज़ी स्कीमों के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को लुभावने वादे किये जाकर धनराशि एकत्रित की जाकर राशि वापिस नहीं की जाती है। इससे नागरिकों में रोष व्याप्त होता है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भुगतान करने के पूर्व ऐसे किसानों एवं हितग्राहियों को राशि निवेशित करने बाबत् टैक्स्ट मेसेज़ (SMS) भेजा जाये।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पब्लिसिटी मटेरियल के आधार पर किसानों एवं हितग्राहियों को भेजे जाने वाले टैक्स्ट मेसेज़ (SMS) की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त (SMS) साप्ताहिक आधार पर सभी पंजीकृत किसानों को उनके मोबाईल पर भेजने की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें जिससे चिटफण्ड / पोंन्ज़ी स्कीम आदि अनाधिकृत संस्थाओं / योजनाओं में धन निवेश पर रोक लगाने में सहायता मिले। समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया था कि उक्त टेक्स्ट मेसेज़ भेजने की व्यवस्था प्रत्येक सीज़न के दौरान की जाये।

संलग्नः–उक्तानुसार।

8/5/2019

(डॉ0 मनोज गोविल)
आयुक्त
संस्थागत वित्त

भावान्तर, प्राईस सपोर्ट, समर्थन मूल्य आदि योजनाओं हेतु पंजीकृत किसानों को भेजे जाने वाले एस0एम0एस0 का मज़मून

1. क्या आपको डिपॉजिट पर अधिक ब्याज की ऑफर मिली है ? ऐसे ऑफर से सावधान रहें। आप अपनी जमा पूंजी गवॉ सकते हैं। अपनी बचत को बैंक और डाकघर में ही जमा करवाये। अधिक ब्याज के लालच में नहीं आये।

2. अपनी पूंजी को बैंक और डाकघर के अलावा कहीं ओर डिपॉजिट करने से पहले जांच करें कि जमा लेने वाली संस्था रिजर्व बैंक, सेबी, आवास बैंक द्वारा अधिकृत की गई हैं अथवा नहीं। यदि अधिकृत नहीं है तो अपनी राशि को ऐसी संस्था में बिल्कुल जमा नहीं करावें।

3. मध्य प्रदेश में चिटफण्ड का व्यापार गैर कानूनी है। लकी ड्रा के नाम पर ज्यादा रिर्टन, उपहार, नकद ईनाम का लालच देकर किश्तें जमा करवाने वाली स्कीम गैरकानूनी है, इनसे बचे। लालच में नहीं आयें। अपनी बचत को बैंक और डाकघर में ही जमा करवायें।

4. मध्य प्रदेश में पोन्जी स्कीम का व्यापार गैर कानूनी है। कम समय में बिना ज्यादा निवेश किये अधिक रिर्टन का वादा करने वाली स्कीम जैसे मनी–चेन, पीरामिड आदि गैरकानूनी है, इनसे बचे। लालच में नहीं आयें। अपनी बचत को बैंक और डाकघर में ही जमा करवायें।

xxxxxx

क.प्राविवि / एसएलसीसी–36 / सं.वि.स. / 2018 / 1557 –　　　　　　भोपाल, दिनांक 09–05–2019

प्रतिलिपिः–

1. **क्षेत्रीय निदेशक,** भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

J.K. Gupta

संयुक्त संचालक

संस्थागत वित्त